



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3094]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2017/कार्तिक 12, 1939

No. 3094]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2017/KARTIKA 12, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2017

का.आ. 3529(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को, उक्त उपधारा के अधीन दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात् -

सारणी

न्यायालय (1)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (2)
नगर सिविल न्यायालय, चैन्नई का XV अपर न्यायालय, XVI अपर न्यायालय	कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कृष्णागिरी, नामक्कल, नीलगिरी, सेलम और तिरुपुर को छोड़कर तमिलनाडु राज्य

[फा. सं. 1/12/2009-सीएल-I (भाग. IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2017

S.O.3529 (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby designates the following Courts mentioned in column (1) the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said sub-section, namely:-

TABLE

Courts (1)	Jurisdiction as Special Court (2)
XV Additional Court, XVI Additional Court of City Civil Court, Chennai	State of Tamil Nadu except Districts of Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Krishnagiri, Namakkal, Nilgiris, Salem and Tiruppur.

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.